



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238341
CG-DL-E-24082022-238341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3788]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3788]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का. आ. 3962(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 766C के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH766C पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	असिस्टेंट कमिश्नर हवेरी सब- डिविजन हवेरी ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH766C के कि.मी. 163.7 से 191.9 तक	कर्नाटक	हावेरी	रानीबेन्नूर	1 हरगोप्पा
						2 दंडगिहल्ली
2	असिस्टेंट कमिश्नर सागर सब डिविजनल, सागर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH766C के कि.मी. 40.5 से 114.45 तक	कर्नाटक	शिवमोग्गा	रत्तीहल्ली	1 बेलुरु
						2 कोडमागगी
						3 थिप्पाइकोप्पा
						4 मसुरु
						5 रत्तीहल्ली
					सागर	1 यादहल्ली
						2 इरुवाक्की
					होसानगर:	1 नागोडि
						2 के. हुनासवल्ली
						3 जयनगर
						4 होसानगर:
						5 बट्टमल्लप्पा
						6 नंदिग
						7 मदवल्ली

[फा. सं. RW/BNG/NH-766C/Km.40to 194/20/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

S. O. 3962(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No 766C in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH766C in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Commissioner Haveri Sub-Division Haveri (	163.7KM To 191.9KM	KARNATAKA	HAVERI	Ranibennur	1 Harogoppa 2 Dandagihalli
					Rattihalli	1 Belluru 2 Kodamaggi 3 Thippaikoppa 4 Masuru 5 Rattihalli
2	Assistant Commissioner Sagar Sub Divisional, Sagar (	40.5KM To 114.45KM	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Sagar	1 Yadehalli 2 Iruvakki
					Hosanagara	1 Nagodi 2 K. Hunasavalli 3 Jayanagara 4 Hosanagara 5 Battamallappa 6 Nandiga 7 Madavalli

[F. No. RW/BNG/NH-766C/Km.40to 194/20/2021]

RAJESH GUPTA, Director